1 करोड़ 28 लाख 16 हजार 720 रूपये जलकर बकाया है, स्मृतिनगर सोसायटी का

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रं. 01 नेहरू नगर में स्थित स्मृति नगर गृह निर्माण संस्था मर्यादित का दिनांक 22 मार्च 2025 की स्थिति में नगर निगम भिलाई का जलकर 1 करोड़ 28 लाख 16 हजार 720 रूपये बकाया है। जिसका नोटिस संस्था को दिया जा चुका है। स्मृति नगर सोसायटी में निवासरत नागरिको द्वारा बताया गया है कि उनसे प्रतिमाह सोसायटी द्वारा जलकर की राशि नियमानुसार लिया जा रहा है। लेकिन नगर निगम भिलाई के खाते में जमा नहीं किया जा रहा है, इससे हम लोग बहुत दुखी है। इसकी शिकायत अस्थानीय पार्षद मुकेश कुमार अग्रवाल एवं नागरिको द्वारा लिखित रूप से निगम भिलाई को की गई है। संस्था द्वारा लोगो के बीच में भ्रम फैलाया गया कि जलकर के संबंध में उच्च न्यायालय में केश चल रहा है। हमे स्टे मिला हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर स्मृति नगर सोसायटी के निवासियों के मकानों का सर्वे कराया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1268 मकान निर्मित है, जिसमें आवास, आवास सह व्यवसाय एवं व्यवसाय के रूप में काबिज है। इसमें से मात्र 752 मकान धारियों का ही जलकर का गणना पूर्व से किया गया है। 450 से अधिक मकानों में भी नल कनेक्शन लिया जा चुका है। अभी वर्तमान में जलकर की राशि और वृद्धि होगी। राज्य सरकार के प्रकाशित राजपत्र के अनुसार आवासीय मकान में जलकर 200 रूपये प्रतिमाह, आवास सह व्यवसाय में 350 रूपये, व्यवसाय में 800 रूपये एवं जो परिवार संपत्तिकर के दायरे में नही आते है, उनसे 60 रूपये प्रतिमाह लेने का प्रावधान है। जलकर वसूली विभाग के सहायक राजस्व अधिकारी धीरज साहू का कहना है कि संस्था को दो नोटिस देकर 12.03.2025 एवं 22.03.2025 का तामिल करवाया गया है। संस्था द्वारा नोटिस जारी होने के 2 वर्ष पूर्व 30 लाख रूपये निगम कोष में जमा कराया गया था। अभी वहां पर और मकान निर्माणाधीन है। वास्तविक गणना होगा तो राशि लगभग 2.5 करोड़ से उपर जायेगी। सोसायटी के निवासियों द्वारा सोसायटी के गतिविधियों के संबंध में कई बार जिला एवं निगम प्रशासन को शिकायत की गई कि सोसायटी द्वारा हम लोगो से बहुत सारा अधिभार लिया जा रहा है। पार्को में लगे हरे–भरे पड़ो को भी काट दिया जा रहा है, जिससे यहां की आबो हवा एवं सुंदरता प्रभावित हो रही है। सोसायटी के उपर भूखण्डो के खसरा नबंर में भी छेड़–छाड़ करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। जिसका शासकीय राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन किया जा रहा है। सोसायटी के निवासियों का मांग है कि स्मृति नगर सोसायटी को नगर निगम भिलाई अपने अधिपत्य में ले–ले। निर्धारित जलकर राशि समय अवधि में नहीं जमा करने पर निगम द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए निगम द्वारा पानी सप्लाई को नहीं रोकी जा रही है।